न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 104/2019 (2019/00169) दर्ज दिनांक 24.09.2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. श्रीमती उगमी पुत्री चतरूदास बैरागी निवासी मेहन्दी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीया

बनाम

1. गांगुदास पिता चतरूदास बैरागी निवासी महेन्दी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री मुकेश कुमार चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–17.08.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम मेहन्दी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा के प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 360 रकबा 0.42 हे0, आराजी संख्या 361 रकबा 0.01 हे0, आराजी संख्या 362 रकबा 0.65 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 7 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मेहन्दी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा के प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 360 रकबा 0.42 हे0, आराजी संख्या 361 रकबा 0.01 हे0, आराजी संख्या 362 रकबा 0.65 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 7 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए [illegible] किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/– (पांच सौ रू [illegible]) [illegible] में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/– [illegible] संबन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी

गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi

Date: 2021.01.07 12:17:28 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner